

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-जोए/6004/बयन/2019-20 दिनांक-19.06.2019 द्वारा प्राप्तिपदक (स्कूल शिक्षा) राजस्थानी के पद पर द्यन वर्ष 2019-20 हेतु नियमित एवं रियु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24(2) (१) में अन्तर्गत जारी नियमित एवं रियु सूची में सम्बलित संलग्नक सूची में विवरणाक्रित कार्मिकों को प्राप्तिपदक (स्कूल शिक्षा) राजस्थानी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित बैतनमान) नियम 2017 के ऐ घेट्रिक्स बैतन लेवल 12 में द्यन एवं जी दिवागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की जाकर इन्हें इनके नाम के सम्बुद्ध आकेत विद्यालय में प्राप्तिपदक (स्कूल शिक्षा) राजस्थानी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्राप्तियानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्त्ता जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नति कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/पर्व, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अहता का गिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय है-गल SO.csection@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे। पदोन्नति कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक:

28/06/2019 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नति कार्मिक को दिनांक- 28/06/2019 (परिवेशांग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नदीन पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नति कार्मिक को दिनांक- 28/06/2019 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यमार्ग ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्दाज शाला दर्पण पर अपडेट कराते हैं।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान ८५ पुष्टि अवश्य कर लें वे की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नति किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रमाणित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रमाणित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नियमित छिडेल)

आई.ए.ए.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 23 /06/2019

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-५/ राजस्थानी /डीपीसी/ 2019-20/ १-२
प्रतिलिपि: निन्ह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(पुण्ड-२)/ कार्मिक(क-१-५)प्रभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी भुज्यालय (आधारिक/प्रारम्भिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नति कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होने।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को डिमांडेट वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
9. सहायक निदेशक विभिन्न गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच, जोएसी प्रमाण कार्यालय हाजा।
10. रद्दित पत्रावली।

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/राजस्थानी/डीपीसी/2019-20/1-2

दिनांक-23/08/2019

क्रमांक	स्थाई याचिका संखी का क्रमांक	याचिका अवधि	दर्शन वर्ष	सिवट्टा ल	वर्ग	जन्म दिनांक	लोक सेवक का नाम	वर्तमान पदवशापन स्थान	भदोन्नत पदवशापन स्थान	प्रिला	
1	4483	0	2011-2012	2019-2020	T	SC	13-07-78	BADRI NARAYAN	राजसाहि विरलोका (नागौर)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEWATU, SEKHALA (08151604703 (SHERGARH))	JODHPUR
2	8948	0	2011-2012	2019-2020	T		10-07-1984	SUBHASH CHAND	राजसाहि-सरनायडा, मकराना नागौर	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL BUGARDA, JAYAL (08140507105)(JAYAL (SC))	NAGAUR

21

Wt

(नथमल डिफेल)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर